संख्या-113/2023/686/41-2023-17(जि0यो0)/2021

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 20 फरवरी, 2023**

विषय:-जिला योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र अतरौलिया के वि0ख0 कोयलसा में गौरा स्थित प्रथमदेय सिद्धपीठ धाम स्थल के पर्यटन विकास एवं जनपद आजमगढ़ शहर में स्थित प्राचीन इमामबाड़ा के पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8154/7-1-1/जि0यो0/द्वितीय किश्त यू0सी0/2021-22, दिनांक 31.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र अतरौलिया के वि0ख0 कोयलसा में गौरा स्थित प्रथमदेय सिद्धपीठ धाम स्थल के पर्यटन विकास एवं जनपद आजमगढ़ शहर में स्थित प्राचीन इमामबाड़ा के पर्यटन विकास कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा गठित आगणन की धनराशि के सापेक्ष मूल्यांकित लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या 675/2021/आई/118783 /41-1002(001)/141/2021-17-जि0यो0/2021, दिनांक 02.12.2021 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आंकलित धनराशि (लाख में 0रू)	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)
1	2	3	4
1	जनपद आजमगढ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया के विकास खण्ड कोयलसा में गोरा स्थित प्रथमदेव सिद्धपीठ धाम स्थल का पर्यटन विकास।	12.99 (रू0 बारह लाख निन्यानवे हजार मात्र)	4.00 (रू0 चार लाख मात्र)
2	जनपद आजमगढ शहर में स्थित प्राचीन इमामबाड़ा का पर्यटन विकास।	3.21 (रू0 तीन लाख इक्कीस हजार मात्र)	1.00 (रू0 एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत परियोजनाओं की अवशेष वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार व निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि 3 - 4	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद आजमगढ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया के विकास खण्ड कोयलसा में गोरा स्थित प्रथमदेव सिद्धपीठ धाम स्थल का पर्यटन विकास।	12.99	4.00	8.99	8.99
2	जनपद आजमगढ शहर में स्थित प्राचीन इमामबाड़ा का पर्यटन विकास।	3.21	1.00	2.21	2.21
कुल योग					**11.20**

(रूपये ग्यारह लाख बीस हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत प्रायोजनाओं की निविदा लागत के सापेक्ष लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविक एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 24.11.2021 एवं दिनांक 29.06.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यकता से अधिक धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था**,** पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 11,20,000.00 (रूपये ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801040900 पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय**,**

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या-113/2023/686/41-2023-17(जि0यो0)/2021, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन**,** लखनऊ ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी**,** आजमगढ़।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ़।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से**,**

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।